न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 13/16
(जीसीएमएस संख्या 2016/00242)

निर्णय दिनांकः– 12-7-22

1. चतराराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. सुगनाराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. शिवलाल पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. तेजाराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. लालू पुत्र शेरा जाति कुम्हार निवासी मैनसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. बुधारानी जोजे धोंकलराम जाति प्रजापत निवासी शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

–अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्ध निर्णय दिनांक 15–01–2016
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री हरीराम बिश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15–01–2016 जिसके द्वारा अपीलांट्स की अपील स्वीकार की गई है, के विरुद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा कैम्प मैनसर में पारित आदेश दिनांक 10–06–2015 को पारित किया गया था। जिसके विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–2016 के माध्यम से अपील को स्वीकार किया गया। उक्त अपील में अपीलांट् द्वारा प्रार्थी जोकि वादग्रस्त भूमि के सद्भावी क्रेता है, को पक्षकार स्थापित किये बिना ही अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलांट् द्वारा जानबूझकर क्रेतागण को अपील में पक्षकार स्थापित नहीं करते हुए उन्हें उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। जबकि आराजी जैर के क्रय होने के उपरान्त क्रेतागण के विधिक अधिकार वादग्रस्त भूमि पर उत्पन्न हो गये थे। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मिलीभगत करते हुए व न्यायालय को अंधेरें में रखते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जोकि स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रकरण गुणावगुण पर प्रकाश डालते हुए आगे कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खेत खसरा नम्बर 851 तादादी 10.46 हेक्टर भूमि पर आवागमन हेतु मांग किये जाने पर अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 853 की पश्चिमी सींव खेत खसरा नम्बर 856 की पश्चिमी सींव से रास्ता स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर कतई गौर नहीं किया गया है, जबकि रास्ते के मामलों में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ता कायम करने अथवा नहीं करने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा आदेश पारित करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों को अनदेखा किया गया है जोकि स्पष्ट रूप से एरर अपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ दा रिकार्ड की श्रेणी में आता है। चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील से प्रार्थी पीड़ित पक्षकार है। लिहाजा उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्याय का भी यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यथित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए ही आदेश पारित किया जाना चाहिए, जोकि प्रस्तुत प्रकरण में नहीं किया गया है। ऐसा आदेश कानून की दृष्टि से शून्य आदेश की परिभाषा में होने से स्पष्ट रूप से Mistake apparent on the face of record है। प्रार्थी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य के उजागर होने के आधार पर अपील निर्णय दिनांक 15—01—2016 रिव्यू योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एवं अपील का निर्णय दिनांक 15—01—2016 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 15—01—2016 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सकता। प्रार्थीगण द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील में उठाये गये बिन्दुओं को पुनः उठाया गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा कथन किया गया है कि वे वादग्रस्त भूमि के बोनाफाईड परचेजर है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी को स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील में बतौर पक्षकार स्थापित होना चाहिए था। प्रार्थी तत्सयम न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं आने व न्यायालय हाजा द्वारा उनके समक्ष जैरकार अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जा चुका है। प्रार्थी यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतन्त्र है। प्रार्थी द्वारा उच्चतर न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं करते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से आदेश जैर अपील को निरस्त कराने की चेष्टा की जा रही है, जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रकरण गुणावगुण को निर्धारित करने का कथन किया गया है जबकि उपरोक्त सभी बिन्दु अदालत हाजा व न्यायालय हाजा द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णयों में अभिनिर्धारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 पार्ट II पेज 973 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15–01–2016 जिसके माध्यम से अपीलांट/अप्रार्थीगण की अपील को स्वीकार किया गया है, के विरूद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है, जिसे पक्षकार स्थापित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के हक व हकूक साबित है अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15–01–2016 के विरुद्व नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वे वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है, जिसे पक्षकार बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत की गई व अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में प्रार्थी बतौर पक्षकार स्थापित नहीं थे, एवं न्यायालय हाजा द्वारा तत्समय पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो अपीलाधीन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जहॉ तक रिव्यू प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपील के गुणावगुण के तथ्य उठाये है। जबकि प्रार्थी को अपील के निर्णय में हुए एरर ऐपरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकार्ड के तथ्य बताने थे। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–01–2016 यथावत कायम रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 12/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर